SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

भा.स.बी.नि.

31 वा वार्षिक प्रतिवेदन 2002-03

GIC OF INDIA

31st ANNUAL REPORT 2002-03

ReportJunction.com

आपत्काले रक्षिष्यामि

भारतीय साधारण बीमा निगम

General Insurance Corporation of India

www.reportjunction.com

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

www.reportjunction.com

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

भारतीय साधारण बीमा निगम
31वां वार्षिक प्रतिवेदन 2002-03
विषय सूची

General Insurance Corporation of India
31st Annual Report 2002-03
Contents

निगम – जानकारी
Corporate Information 2

सूचना
Notice 4

निदेशकों का प्रतिवेदन
Directors' Report 8

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट
Management's Discussion & Analysis Report 26

प्रबंधन रिपोर्ट
Management Report 50

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ और समीक्षा
Comments & Review by C&AG 56

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Auditors' Report 66

राजस्व खाता
Revenue Accounts 72

लाभ - हानि खाता
Profit and Loss Account 78

तुलनपत्र
Balance Sheet 82

वित्तीय विवरण के भागरूप अनुसूचियां
Schedules Forming Part of Financial Statements 84

उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ और खातों के भागरूप टिप्पणियाँ
Significant Accounting Policies and Notes forming part of the Accounts 118

वित्तीय विवरण का सारांश
Summary of Financial Statement 140

लेखा संबंधी अनुपात
Accounting Ratios 144

नकद प्रवाह विवरण
Cash Flow Statement 150

तुलनपत्र का संक्षेप और कंपनी का सामान्य व्यवसाय प्रोफाईल
Balance Sheet Abstract and Company's Business Profile 154

प्रचालन विशिष्टताएं
Performance Highlights 156

www.reportjunction.com

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

भारतीय साधारण बीमा निगम
GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA

निगम जानकारी

निदेशक	श्री डी. सेनगुप्ता	अध्यक्ष (30.06.2002 तक)
	श्री पी.सी. घोष	अध्यक्ष (04.10.2002 से) प्रबंध निदेशक और वर्तमान प्रभारी (01.07.2002 से 03.10 2002 तक) प्रबंध निदेशक (30.06.2002 तक)
	श्री पी.बी. रामानुजम	प्रबंध निदेशक (31.05.2002 से)
	श्री अजीत एम. शरण	(08.06.2003 तक)
	श्री एस.एस. कोहली	(30.09.2002 तक)
	श्री जानकी बल्लभ	(31.10.2002 तक)
	श्री वी. जगन्नाथन	(24.09.2002 से 21.03.2003 तक)
	श्री एस.बी. माथुर	(24.09.2002 से)
	डॉ. दलबीर सिंह	(01.10.2002 से)
	श्री ए.के. पुरवार	(02.01.2003 से)
	श्री एच.एस. वाधवा	(21.03.2003 से)
	श्री जी.सी. चतुर्वेदी	(09.06.2003 से)
प्रबंधन		
अध्यक्ष	श्री पी.सी. घोष	
प्रबंध निदेशक	श्री पी.बी. रामानुजम	
महा प्रबंधक	श्री एम. राघवेन्द्र	
	श्री आर.के. जोशी	
	श्री पी.के. मोर	
	श्री बी.पी. देशमुख (म.प्र. तथा कं. सचिव)	
मुख्य सतर्कता अधिकारी	श्री के. श्रीधर	
सहायक महा प्रबंधक	श्रीमती भाग्यम रमानी	
	श्री जी. कृष्णा राव	
	श्री एम. रवीन्द्रन	
	श्रीमती सुशीला वेंकटरामन	
	श्री गुलाम मुंतका	
लेखापरीक्षक	मेसर्स के.एस. अय्यर एण्ड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जन्मभूमि भवन, चौथा माला, जन्मभूमि मार्ग, फोर्ट, मुंबई – 400 023.	
बैंकर्स	बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	
पंजीकृत कार्यालय	"सुरक्षा" 170, जे.टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई – 400 020.	

www.reportjunction.com

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

CORPORATE INFORMATION

DIRECTORS	Shri D. Sengupta	Chairman (up to 30.06.2002)
	Shri P.C. Ghosh	Chairman (w.e.f. 04.10.2002) Managing Director & Current-in-Charge (w.e.f. 01.07.2002 to 03.10.2002) Managing Director (up to 30.06.2002)
	Shri P.B. Ramanujam	Managing Director (w.e f. 31.05.2002)
	Shri Ajit M. Sharan	(up to 08.06.2003)
	Shri S.S. Kohli	(up to 30.09.2002)
	Shri Janki Ballabh	(up to 31.10.2002)
	Shri V. Jagannathan	(w.e.f. 24.09.2002 to 21 03.2003)
	Shri S.B. Mathur	(w.e.f. 24.09.2002)
	Dr. Dalbir Singh	(w.e.f. 01.10.2002)
	Shri A.K. Purwar	(w.e.f. 02.01.2003)
	Sri H.S. Wadhwa	(w.e.f. 21.03.2003)
	Shri G.C. Chaturvedi	(w.e.f. 09.06.2003)

MANAGEMENT

Chairman	Shri P.C. Ghosh
Managing Director	Shri P.B. Ramanujam
General Managers	Shri M. Raghavendra Shri R.K. Joshi Shri P.K. Mor Shri B.P. Deshmukh (G.M. & Co. Secretary)
Chief Vigilance officer	Shri K. Sridhar
Assistant General Managers	Smt. Bhagyam Ramani Shri G. Krishna Rao Shri M. Ravindran Smt. Sushila Venkatraman Shri Gulam Muntaqua
Auditors	M/s. K.S. AIYAR & CO., Chartered Accountants, Janmabhoomi Bhavan, 4th Floor, Janmabhoomi Marg, Fort, Mumbai - 400 001.
Bankers	Bank of India Central Bank of India State Bank of India
Registered Office	"Suraksha", 170, J. Tata Road, Churchgate, Mumbai - 400 020.

www.reportjunction.com

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

भारतीय साधारण बीमा निगम
GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA

: सूचना :

एतद्द्वारा यह **सूचित** किया जाता है कि **भारतीय साधारण बीमा निगम** के सदस्यों की **31वीं वार्षिक आम बैठक** मंगलवार दिनांक 30 सितंबर, 2003 को शाम 5.00 बजे निगम के पंजीकृत कार्यालय, 'सुरक्षा', 170, जे.टाटा रोड, मुंबई – 400 020 में होनी तय हुई है, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर विचारविमर्श किया जाएगा:–

सामान्य व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट और खातों का लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त करना और उस पर सहमति देना।
2. साम्य शेयरों पर लाभांश घोषित करना।
3. वर्ष 2003-2004 के लिए लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करना और 2002–03 के परिश्रमिक का पुनरीक्षण करना।

विशेष व्यवसाय

4. विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर उसे आशोधनों सहित या आशोधनों के बिना पारित करना:–

   "**संकल्प किया जाता है कि** धारा 293(1)(ए) के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, शेयरधारकों की सहमति के साथ निगम के फसल बीमा व्यवसाय को 1 अप्रैल, 2003 से कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत मेसर्स एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. (एआईसीआईएल) के रूप में स्वीकार किया जाएगा।"

   "**आगे संकल्प किया जाता है कि** मंडल को स्वतः या अध्यक्ष के माध्यम से प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे सभी कार्यों तथा प्रलेखों को निष्पादित करे और ऐसे सभी प्रकार की सहमति तथा मंजूरी ले जो कि निगम के फसल बीमा व्यवसाय को मेसर्स एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लि. में शामिल करने में आवश्यक हो।"
5. निगम के मेमोरेंडम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लाज में परिवर्तन करने पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में आशोधनों सहित या आशोधनों के बिना पारित करना :

   "**संकल्प किया जाता है कि** क्लाज सं. (III) उप क्लाज (ए) उप क्लाज – (1) को एतद्द्वारा रद्द समझा जाए।"

   "**आगे संकल्प किया जाता है कि** क्लाज सं. (III) उप क्लाज (ए) उप क्लाज – (2) की पंक्ति 3 में दिए गए शब्दों "जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर" को एतद्द्वारा "जीवन बीमा व्यवसाय सहित" पढ़ा जाए।"

कृते और मंडल की ओर से

बी.पी. देशमुख
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
"सुरक्षा"
170 जे.टाटा रोड, चर्चगेट,
मुंबई – 400 020.
दिनांक : 16 सितंबर, 2003.

टिप्पणी :

1. बैठक में उपस्थित रहने और मत देने का हकदार सदस्य अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने का हकदार है, चाहे वह सदस्य हो या ना हो, उसे सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने तथा उसकी ओर से मत देने का अधिकार है।
2. प्रतिनिधि या अन्य प्राधिकारी नियुक्त करने से संबंधित कोई दस्तावेज हो, तो उसे बैठक के आयोजन के समय से 48 घंटे पहले निगम के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

www.reportjunction.com

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 31st ANNUAL GENERAL MEETING of the Members of the GENERAL INSURANCE CORPORATION OF INDIA will be held at the Registered Office of the Corporation at "Suraksha", 170, J. Tata Road, Churchgage, Mumbai - 400 020, on Tuesday, the 30th day of September, 2003 at 5.00 p.m. to transact the following business:

Ordinary Business

1. To receive and adopt the Directors' Report and Audited Statements of Account for the year ended 31st March, 2003.
2. To declare dividend on equity shares.
3. Fixation of remuneration of auditors for the year 2003-04 and revision for 2002-03.

Special Business

4. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a special resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 293(1)(a), and any other applicable provisions of the Companies Act, 1956, consent of the Shareholders be and is hereby accorded for hiving off the Crop Insurance business of the Corporation to M/s. Agricultural Insurance Company of India Ltd. (AICIL), a company registered under Companies Act, 1956, with effect from April 1, 2003."

   "RESOLVED FURTHER THAT Board either by itself or through Chairman be and is hereby authorised to do all such acts, deeds and things and to take all such consents, sanctions as are necessary to hive off the Crop Insurance business of the Corporation to M/s. Agricultural Insurance Company of India Ltd."

5. To consider change in the object clause in the Memorandum & Articles of Association of the Corporation and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as a special resolution:

   "RESOLVED THAT Clause No. (III) Sub Clause (A) Sub clause - (1) be and is hereby stands deleted."

   "RESOLVED THAT Clause No. (III) Sub Clause (A) Sub clause - (2) line-3 the words 'except life insurance business' be and is hereby substituted by "including life insurance business"

For and on behalf of the Board

B.P. Deshmukh
Company Secretary

Registered Office:
"Suraksha",
170, J. Tata Road,
Churchgate,
Mumbai - 400 020.
Date : 16th September, 2003

Note:

1. A member entitled to attend and vote at the Meeting is entitled to appoint another person, whether a member or not, as his proxy to attend the meeting and vote thereat instead of himself.
2. The instrument appointing a proxy or other authority, if any, can be deposited at the Registered Office of the Corporation, not less than 48 hours before the time for holding the meeting.

www.reportjunction.com

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के प्रावधानों के अनुसार स्वतः स्पष्ट विवरण

मद सं. 4:

निगम ने भारत सरकार की ओर से सितंबर, 1999 तक व्यापक कृषि बीमा योजना का प्रचालन किया। केंद्र सरकार की ओर से 1 अक्तूबर, 1999 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की (एनएआईएस) शुरूआत की गई। योजना के अनुसार, निगम को खाद्य फसलों, तिलहनों, वाणिज्यिक/बागवानी फसलों को कवरेज के लिए किसानों से प्रीमियम मिलता है। निगम किसानों को खाद्य फसलों के मामले में प्रीमियम के 100% तक और वाणिज्यिक तथा वार्षिक बागवानी फसलों के मामले में 150% तक क्षतिपूर्ति करने का दायी है। परिणामस्वरूप, सीसीआईएस और एनएआईएस योजनाओं की परिसंपत्तियां और दायित्व निगम में निहित हैं।

सरकार ने पूर्णतः फसल बीमा को समर्पित एक बीमा कंपनी के गठन की घोषणा की। तदनुसार, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया (एआईसीआईएल) नामक एक नई कंपनी की स्थापना कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत की गई है जो कि 200 करोड़ रु. की चुकता पूंजी के साथ पंजीकृत है। यह कंपनी निगम, जिप्सा कंपनियां और नाबार्ड द्वारा प्रोन्नत है और जो पूर्णतः फसल तथा अन्य कृषि से संबंधित बीमा के व्यवसाय पर ध्यान देगी। यह कंपनी प्रचालन शुरू करने के लिए आईआरडीए की औपचारिक अनुमति की प्रतीक्षा में है। निगम को भी "राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता" के रूप में भी जाना जाता है अतः अधिसूचना के दिनांक से वह कोई प्रत्यक्ष व्यवसाय नहीं कर सकता। तथापि, यह प्रस्तावित है कि फसल बीमा व्यवसाय की परिसंपत्तियों और दायित्वों को 1 अप्रैल 2003 से बुक मूल्य पर नई कंपनी को हस्तांतरित कर दिया जाए।

श्री जी.सी. चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव, बैंकिंग और बीमा एआईसीआईएल के मंडल पर निदेशक हैं। निगम के अन्य निदेशक संकल्प से संबंधित नहीं हैं या इसमें रुचि नहीं रखते हैं। मंडल ने शेयरधारकों के अनुमोदनार्थ संकल्प की संस्तुति करता है।

मद सं. 5

निगम के वर्तमान उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है साधारण बीमा के व्यवसाय का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना, साथ ही सहायक कंपनियों आदि के कार्यकलापों का भी पर्यवेक्षण करना। साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने के पश्चात निगम की भूमिका पुनर्बीमा व्यवसाय, गैर-जीवन और जीवन तक परिसीमित हो गई है। परिणामस्वरूप निगम के मेमोरेंडम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आब्जेक्ट क्लाज में परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। उपर्युक्त परिवर्तन किए जाने से संबंधित संकल्प शेयरधारकों के अनुमोदनार्थ रखा गया है।

कृते और मंडल की ओर से

बी.पी. देशमुख
कंपनी सचिव

www.reportjunction.com

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO THE PROVISIONS OF SECTION 173(2) OF THE COMPANIES ACT, 1956

Item No. 4

The Corporation was operating Comprehensive Agriculture Insurance Scheme till September, 1999 on behalf of Government of India. National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) has been launched since 1st October, 1999, on behalf of the Central Government. As per the Scheme, the Corporation receives premium from farmers for coverage of food crops, oilseeds, commercial/horticultural crops. The Corporation is liable to indemnify farmers upto 100% of the premium received in case of food crops and 150% in case of commercial and annual horticulture crops. Consequently, the assets and liabilities of the CCIS and NAIS schemes are vested in the Corporation.

The Government had announced the formation of an insurance company exclusively dedicated to crop insurance. Accordingly, a new company, Agricultural Insurance Company of India Ltd. (AICIL), is formed under the Companies Act, 1956 has been registered with a paid-up capital of Rs. 200 crores. This Company has been promoted by the Corporation, GIPSA Companies and NABARD and will exclusively focuson crop and other agriculture related insurance. The Company is awaiting the formal permission of IRDA to commence operations. The Corporation has also been designated as a "National Reinsurer" and therefore cannot have direct insurance business with effect from the date of notification. Hence, it is proposed to transfer the assets and liabilities of the crop insurance business to the new Company w.e.f. Apri 1, 2003 at Book Value.

Mr. G.C. Chaturvedi, Joint Secretary, Banking and Insurance is a Director on the Board of AICIL. None of the other Directors of the Corporation are concerned or interested in the resolution. The Board recommends the resolution for the approval of Shareholders.

Item No. 5

As per the present one of the object of the Corporation is to supervise and control the business of General Insurance as also supervise the working of Subsidiary Companies etc. Subsequent to amendment of General Insurance Business (Natinoalisation) Act, 1972 role of the Corporation has been confined to Reinsurance Business, Non-Life as well as Life. Consequently, changes need to be made in the object Clause of the Memorandum and Articles of Association of the Coproation. Resolution to give effect to the above changes is placed for the approval of shareholders.

For and on behalf of the Board

B.P. Deshmukh
Company Secretary

www.reportjunction.com

SANSCO SERVICES - Annual Reports Library Services - www.sansco.net

निदेशकों का प्रतिवेदन

सदस्यों के प्रति,

निदेशकगण हर्ष पूर्वक निगम के कामकाज और कार्यकलापों के संबंध में इगत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और 31 मार्च, 2003 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परीक्षित खाता विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं ।

वित्तीय परिणाम:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय परिणामों की विशेषता निम्नानुसार है:

(करोड़ रु. में)

	2002-03	2001-02
राजस्व खाते		
1. शुद्ध प्रीमियम	**3832.79**	2671.23
2. शुद्ध अर्जित प्रमियम	**3186.33**	2438.47
3. शुद्ध उपगत दावे	**2744.40**	2295.08
	86.13%	94.12%
4. शुद्ध कमीशन	**909.01**	636.34
	28.53%	26.10%
5. प्रचालन व्यय और अन्य निर्गम, घटायें अन्य आय	**21.91**	23.82
	0.69%	1.04%
6. निवेश आय राजस्व में आबंटित, घटायें व्यय	**578.03**	568.70
7. कुल लाभ/हानि(-)	**89.04**	51.93
(2+6-3-4-5)	**2.79%**	2.13%
लाभ-हानि खाता		
8. ब्याज, लाभांश और किराया (सकल)	**371.18**	392.47

(करोड़ रु. में)

	2002-03	2001-02
9. अन्य आय, घटायें अन्य निर्गम	**35.19**	14.80
10. संदिग्ध ऋणों और निवेश के लिए प्रारक्षण, बट्टे खाते निवेशों के परिशोधन सहित	**114.47**	102.49
11. पूर्व सहायक कंपनियों में निवेश बट्टा खाता	**38.05**	
12. कर पूर्व लाभ (7+8+9-10-11)	**342.89**	356.71
13. स्रोत पर काटा गया आय कर और कर के लिए प्रावधान, आस्थगित कर सहित	**81.42**	50.00
14. कर पश्चात लाभ (12-13)	**261.47**	306.71
15. पुनर्लिखित राशि	**20.19**	5.47
16. समायोजन के लिए उपलब्ध लाभ (14+15)	**281.66**	312.17
17. गत वर्ष से अग्रेनीत लाभ शेष	**0.03**	0.01
18. लाभांश कर सहित प्रस्तावित लाभांश	**53.36**	43.00
19. सामान्य प्रारक्षण में अंतरित	**228.30**	269.15
20. लाभ अधिशेष अग्रानीत (16+17-18-19)	**0.03**	0.03

(असमाप्त जोखिमों के लिए शुद्ध अर्जित प्रीमियम प्रारक्षण हेतु समायोजन के पश्चात प्रस्तुत किए गए हैं)

(प्रतिशत, वर्तमान वर्ष के शुद्ध अर्जित प्रीमियम से संबंधित हैं)

प्रस्तावित लाभांश

निदेशकों ने समीक्षाधीन वर्ष के अंतर्गत 22% की दर से लाभांश घोषित किया जिसकी राशि 47.30 करोड़ रु. है, जबकि गत वर्ष 20% की दर से 43 करोड़ रु. थी । वर्ष के दौरान घोषित लाभांश लाभांश वितरण कर के रूप में 6.06 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई।

www.reportjunction.com